International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 04, April 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत मेंमहिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व:**सैद्धांतिक** परिचय से क्रियान्वयन तक

राखी[1]

सारःलोकतांत्रिक राजनीति में शासक तथा शासित के मध्य संबंध शासन की वैधता तथा प्रासंगिकता को औचित्यता प्रदान करने हेतु एक आवश्यक पहलू है। जनता की शासन में भागीदारी तथा उचित प्रतिनिधित्व इनके हितो की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने हेतु अति-आवश्यक सिद्धांत है। प्रत्येक वर्ग की प्रतिनिधित्व में समान उपस्थिति न होना समाज के सभी वर्गो की समानता पर प्रश्न उठाता है।प्रत्येक वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा तथा यह किस स्तर तक जनता के हितो की पूर्ति करने में सहायक होगा यह चिंतन का विषय है जिसकी व्याख्या करने हेतु प्रतिनिधित्व सम्बंधी सिद्धांत महत्वपूर्ण है। राजनीति में प्रत्येक वर्ग की समान भागीदारी तथा इसे बाधित करने वाले तत्वों की समाप्ति हेतु प्रयास करना लोकतंत्र को सार्थकता प्रदान करता है। महिलाओं के प्रति व्याप्त समाज में असमान व्यवहार उनकी राजनीतिक परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावित करते है तथा राजनीतिक दल महिलाओं के प्रतिनिधित्व में क्या भूमिका निभाते है यह जानना भी इस लेख का विषय है।

संकेत शब्द : महिला प्रतिनिधित्व , राजनीति , अधिकार, लोकतांत्रिक समाज ,सहभागिता, सशक्तिकरण

[1]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय.

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 04, April 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रस्तावना

महिला प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति मे एक अहम मुददा बन गया हैं। महिलाओं के प्रति समानता, सुरक्षा एवं उनके अधिकारो से परिपूर्ण हितों की पूर्ति के लिए यह अहम प्रयास हैं। महिलाओं को समाज मे उचित स्थान प्रदान करने तथा उनके हितो को राजनैतिक स्वरूप देते हुए भेदभाव को समाप्त करने मे यह सहायता करता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विचार रखने वाले विचारको के अनुसार यह अवधारणा प्रतिनिधि तथा निर्वाचको के मध्य संबंधो को दर्शाती हैं। समाज मे प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक समाज मे उनकी सहभागीता को सुनिश्चित करता हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक विचारको ने राजनैतिक प्रक्रियाओं मे महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया हैं। पुरुषों के समान राजनीतिक सहभागी के रूप मे उन्हें वोट डालने एवम चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता प्रदान की गईं। समय के साथ ही साथ नागरिकों के रूप में महिलाओं के अधिकारों कों भी महत्त्व प्रदान करते हुए उनका राजनीति मे प्रवेश आवश्यक हो गया। महिला प्रतिनिधित्व इस प्रकार समाज में महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने एवं उनकी स्थिति को मजबूत करने का ही एक प्रयास हैं।

यद्यपि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विषय लम्बे समय से इसकी प्रकृति के आधार पर विवाद का विषय बना हुआ हैं। अनेक राजनैतिक विचारक इसकी व्याख्या भिन्न भिन्न रूप में करते हैं। महिला प्रतिनिधित्व की इस विषय मे पहचान प्रदान करने के लिए उन अवधारणाओ की व्याख्या महत्वपूर्ण बन जाती हैं जो इसके आधार सुनिश्चित करती हैं। नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के संबंध मे महिलाओं की भूमिका व्यक्तिगत एवम सामूहिक रूप मे बतलाते हुए उनके प्रति समाज का नजरिया भी दर्शाती हैं।

वर्तमान समय मे हालांकि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र मे बढ़ी है जिससे कि यह राजनैतिक क्षेत्र से भी पूर्णतया अछूती नहीं रही हैं। महिलाओं के शैक्षणिक स्तर मे सुधार एवम उनकी सामाजिक सुधार के लिए होने वाले आंदोलनों मे भागीदारी ने महिलाओं के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 04, April 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

स्तर मे काफी हद तक सुधार किया हैं। केवल इतना ही नही राजनैतिक दलों ने अपनी रणनीतियों में परिवर्तन कर महिलाओं को अपने संगठनो में शामिल करना आरंभ किया है। किन्तु इन सभी सकारात्मक प्रयासों के पश्चात भी महिलाओं की विधायन तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं में संख्या वर्तमान समय में भी पुरुषों की तुलना में समान नही है इसका क्या कारण हो सकता है ? इसके आलावा क्या यह कहना संभव है की महिलाए जो भागीदारी कर रही है वह स्वायत्त है तथा वह स्वयं सम्प्रभु होकर अपने निर्णयों को लेने में सक्षम हैं यह लेख इन्हीं विषयों को सम्बोधित करने का प्रयास करेगा।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वः एक दृष्टिकोण

राजनीतिक प्रतिनिधित्व मे महिलाओं का स्थान दर्शाने के लिए यह अवधारणा अनेक विचारको के विचारो का केंद्र बिंदु बनी रही हैं उनमे से कुछ महत्वपूर्ण नाम एवम उनका योगदान कुछ इस प्रकार हैं:

Andrew Rehfeld(2006) राजनैतिक प्रतिनिधित्व का साधारण नियम प्रस्तुत करते हुए प्रतिनिधि को एक ऐसा व्यक्ति मानते है जो जनता के नाम पर सरकार मे चुना जाता हैं। यह नियम हालांकि लोकतांत्रिक एवंम गैर-लोकतांत्रिक सरकार के अनुसार इसके क्रियान्वयन मे कोई आधारभूत अंतर नहीं बतलाता है। इस कारण इस नियम की अनेक चिंतको ने आलोचना भी की हैं। Hanna Fenichel Pitkinsप्रतिनिधित्व के चार प्रकार के मापक बतलाती हैः Formalistic, Descriptive, Symbolic and Substantial हालांकि यह चारो ही आपस मे एक दुसरे से मिले जुले भी दिखाई देते है। पहला जहा उन नियमो एवम प्रक्रियाओं को बतलाता है जिनके आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता हैं। दूसरा चयनकर्ता एवंम प्रतिनिधि के मध्य हितो की समानताओ को उनके चुनने का आधार बतलाता है। तीसरा उन तरीको को विस्तार से बतलाता है जिनके आधार पर जनता के विचारो, मतों आदि को नीति निर्माण मे शामिल किया जाता है। इन सबसे भिन्न चौथा पैमाना चयनित विधायको की कुछ समूहों के हितो पर आधारित नीतियों का समर्थन करता है।

हन्ना प्रतिनिधित्व को वर्गों के हितो का समर्थक बतलाती है। हालांकि इस विचारधारा की अनेक चिंतक आलोचना भी करते हैं, परन्तु यह केवल प्रतिनिधित्व को वर्गों के हितो से

जोड़कर देखने की शुरुआत थी। अनेक विचारक इसे निर्वाचित वर्गों की सहभागिता से कही अधिक बढ़ावा देते हुए दिखाई दिए Mark Warren''s(2008)इसे नागरिक प्रतिनिधित्व के आधार पर परिभाषित करती हैं यह नागरिको को अपनी क्षमता के आधार पर प्रतिनिधि चुनने को ही उचित प्रतिनिधित्व बतलाती करती है।

JaneMansbridgeप्रतिनिधित्व की मूल्यात्मक समझ प्रस्तुत करती है। यह आधुनिक लोकतंत्र मे चार प्रकार के प्रतिनिधित्व की बात करती हैं Promissory,Anticipatory, Gyroscopic and Surrogacyपहले मे जहां प्रतिनिधि की जाँच उनके चुनाव मे किये हुए वादों को पूरा करने के आधार पर की जाती है। यह Pitkinsके Formal representation के समान परिभाषित किया जा सकता है। दुसरे मे वादों पर नहीं अपितु उन कार्यो पर ध्यान दिया जाता है जिसके कारण उन्हें अगले चुनाव मे तोहफे के रूप मे जीत हासिल हो सके। तीसरे के अनुसार प्रतिनिधि खुद ही अपने अनुभवो के आधार पर हितो को निर्धारित करते हुए अपनी गतिविधिया सुनिश्चित करते है।

Melissa Williamsउपर्युक्त पारम्परिक विचारधाराओ से आगे बढ़ते हुए प्रतिनिधि की गतिविधियों को उन वर्गों पर खासतोर से लागू करती है जो की सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह राजनैतिक प्रतिनिधि को 'बीचबचाव' करने वाले प्रतिनिधि के रूप मे देखती है। यह अमेरिका के संदर्भ मे इस कल्पना की व्याख्या करते हुए महिलाओ को समान नागरिकता प्रदान करने की बात करती है। इनके अनुसार प्रतिनिधि एवम नागरिको के मध्य अविश्वासों के संबंधो मे सुधार किया जा सकता है। अगर इन दुर्बल वर्गों का स्वंय के चुने प्रतिनिधियों से प्रतिनिधित्व किया जाये। इस प्रकार उपर्युक्त चिंतको के योगदान प्रतिनिधि कि चयन प्रक्रिया से आरंभ करके उनके जनमत के प्रति व्यवहार तथा समाज में प्रत्येक वर्गो के समन्वय तक को इसका अभिन्न अंग बतलाते हुए आवश्यक बतलाते है।

भारतीय समाज में महिलाओं प्रतिनिधित्व: सशक्तिकरण एक आधार

महिला प्रतिनिधित्व का विषय आधुनिक समय मे गहन रूप से विवाद का विषय बना हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक देश मे सभी वर्गों का हित सर्वप्रथम नियम है। प्रतिनिधित्व के राजनीतिक पहलु इसके अंतर्गत राजनीति मे सभी वर्गों के समान संरक्षण तथा उनकी

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 04, April 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

समान भागीदारी की मांग करते है। किन्तु कुछ वर्ग जो कि समाज में अल्पसंख्यक के रूप में मौजूद है अथवा जिनको सामाजिक व्यवस्था में शौषण का शिकार होने के कारण स्वयं हित के उचित तथा समान अवसर नहीं प्राप्त है उनको लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व मिले यह स्वयं में चुनौती पूर्ण कार्य है स भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थितियो वश तथा उनके प्रति पितृस्तात्मक दबाव के चलते जो उन्हें गौण स्थान दिया गया है उसने उनकी पहचान मात्र माँ , बेटी, पत्नी, तथा निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले सदस्य मात्र तक ही सीमित कर दी है।

नागरिक के रूप में महिलाओं को मत की स्वतंत्रता पुरुष के रूप में नही होना समानता के सिधांत को नकारता है हालाँकि भारतीय संविधान किसी प्रकार की लैंगिक असमानता को नकारता है किन्तु यह समस्या व्यवहारिक स्तर पर दिखती है जब भारतीय राजनीति में महिला मत भागीदारी प्रतिशत के आंकड़े पुरुष मत प्रतिशत की तुलना में कही अधिक पीछे दिखे। महिलाए ट्रेड यूनियन में सराहनीय भूमिका निभा रही थी किन्तु राजनीतिक संरचनाओ में उनकी गौण भूमिका दरअसल समाज में व्याप्त संरचनात्मक बन्धनों का ही एक परिणाम था। 1971 के पश्चात् महिला भागीदारी के मुद्दे केवल सामाजिक आर्थिक मंचो पर ही नही अपितु राजनीतिक संस्थाओ में सहभागिता की और बढने लगे भारत मे महिला प्रतिनिधित्व के विषय मे बतलाते हुए David lal, Abhichi ojha, Nidhi sadna subharwal कहते है कि महिलाओं का संसद मे प्रतिनिधित्व प्रतिशत उनकी जनसँख्या के अनुसार सदा कम ही रहा है।

भारत मे महिलाये संसद मे समान स्थान प्रदान करने के लिए सदैव संघर्ष करती आ रही है। महिलाओं मे भी अनेक सामाजिक समूहों , धार्मिक समुदायों एवम जनजातीय पहचान के आधार पर भी लोकसभा मे स्वयं के हितों को प्रदर्शित करने का अवसर नही मिल पाया है। महिलाओं के स्तर को बतलाते हुए A bhilasha kumari कहती है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति मे पहले कि तुलना 1974 के पश्चात अहम मुददा बन गया CSW द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों ने महिलाओं के मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्रों मे शामिल करना आरंभ कर दिया।यह आरंभ महिलओं के राजनीतिक स्तर में परिवर्तन का एक आधार था क्योंकि भारतीय राजनीति में महिलाओं को केवल मत देने का अधिकार उनके प्रति होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में सक्षम नही था न ही यह इन्हें नागरिको के रूप में सम्प्रभुता प्रदान करने में

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 04, April 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कामयाब हो सका निसंदेह इनके प्रति समानता आधारित समाज की स्थापना हेतु निर्णय निर्माण में इनका उचित प्रतिनिधित्व अत्यधिक आवश्यक कदम था।

महिलाओं के मुद्दे को अधिक महत्व न मिलने का कारण था भारतीय राजनीति में जाति तथा क्षेत्रीय पहचान की समस्याओं ने लैंगिक असमानता के मुद्दे को अधिक दरकिनार कर दिया गया। हालाँकि प्रतिनिधित्व महिलाओं को केवल पहचान दिला पायेगा अथवा यह संसाधनो के पुनर्वितरण में न्यायोचितता प्रदान करने में सफल होगे इन मुद्दों को लेकर अलग विवाद है। इसके प्रति व्याप्त असमानता को महिला आरक्षण के प्रावधानों से संतुष्ट किया जाना संभव है अथवा यह असंतोष निरंतर बने रहेंगे इस विषय को लेकर भारतीय राजनीति में अलग विवाद है। इस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण तथा उनके स्वयं के निर्णय लेने की सम्प्रभुता इसलिए प्रभावशाली है कि महिलाओं को परिवारिक स्तर पर सशक्तता प्रदान किये बगैर यह संभव नही हो सकता है। परिवार तथा समाज के मध्य समन्वय स्थापित करना महिलाओं के राजनीतिक प्रवेश में आधारभूत रूप से सहायक है। राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला स्थान तथा इनका महत्व इसलिए इनकी सशक्तता से गहन रूप से प्रभावित है।

राजनीतिक दलों में महिलाओं का प्रवेश

महिलाओं के उत्थान मे राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजनैतिक दल महिलाओं के राजनीति मे प्रवेश के मार्ग में अहम् संस्था है। महिलाओं का राजनैतिक संस्थाओ मे पिछड़ेपन का कारण उनकी पार्टी के कार्यो मे भागीदारी का कम होना भी हैं। उनको पार्टी की गतिविधियों जैसे नीति निर्माण , क्रियान्वयन, पार्टी के संचालन का अवसर देकर, पार्टी की कमान उन्हें सोंपकर , एवम चुनाव मे उन्हें उम्मीदवार बनाकर राजनीतिक रूप से सह्भागिता बढाई जा सकती है। यह सहभागिता एक कार्यकरता , उम्मीदवार महिला संगठन के रूप में तथा दल में उच्च स्थान प्राप्त करने एवं दलों की अन्य शाखाओं में योगदान देकर सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार महिलाओं की राजनैतिक दलों मे भागीदारी तीन स्तर अर्थात पार्टी के संगठन मे , नीति निर्माण, एवम महिलाओं मे टिकटों के विभाजन पर अध्ययनकी जा सकती है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 04, April 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नीति निर्माण तथा इन राजनीतिक संस्थाओ में पिछड़ी महिलाओं की परिस्थतियो में परिवर्तन के लिए राजनीतिक दलों द्वारा इनसे सम्बंधित मुद्दों जैसे शिक्षा , सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, आजीविका तथा महिलाओं के विरुद्धअपराध की समाप्ति को तो महत्व दिया गया किन्तु इनके घोषणा पत्र में इन विषयों को समाहित करने के पश्चात भी इन प्रावधानों को गंभीर रूप से क्रियान्वित नही किया जाता है।

वर्तमान समय मे इनके अपने हितो के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वंय उनको शक्ति प्रदान करना उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह महिलाओं को केवल वोटिंग देने से अधिक उन्हें पार्टी की कमान सँभालने का भी अधिकार प्रदान करता है। यह महिलाओं को केंद्र तथा राज्य संस्थाओ मे नियुक्त करते हुए उन्हें क्रियाशील बनाता है। जिससे कि स्वयं महिलाओं को अपने मुद्दों को संसद मे उठाने का अवसर प्राप्त हो सके। चूँकि राजनीतिक दल जनता को प्रतिनिधित्व प्रदान करते है। इसलिए राजनीतिक दलों का उतरदायित्व है कि महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या मे अपने संगठन मे शामिल करे तथा उन्हें चुनाव मे भाग लेने का अवसर अधिक संख्या मे टिकट देकर प्रदान करे।

इस प्रकार राजनीति में इन्हें समुचित स्थान प्रदान करने हेतु महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण होना आवश्यक है। किन्तु इस विषय में अभी भी सुधार की कमी है जैसा की जिनी लोकानीता कहती है की राजनीतिक दल केवल राज्य की प्रकृति द्वारा पित्तंत्रात्मक संरचना को बनाये रखने में कारगर है उदाहरण स्वरूप सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियों में महिलाओं के आरक्षण को महत्वपूर्ण मानते है किन्तु यह खोखली प्रक्रिया सदैव वास्तविक रूप में अनुपस्थित रही क्योंकि यह आन्तरिक संरचनाओ में महिलाओ को निर्णय निर्माण की शक्ति प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध हुए है। यह विश्लेषण केवल किसी एक दल के लिए नही अपितु सभी दलों पर साधारण-तया लागू होता हैं। वर्तमान समय में महिलाओं की संगठन में उच्च स्थानों पर नियुक्ति के अति अल्प अवसर प्राप्त होने के कारण यह केवल उपस्थित रही किन्तु न्यायिक रूप में इन्हें सशक्त बनाने हेतु महत्वपूर्ण है इनको राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण हेतु शक्तिया प्रदान करना। चुनावो में महिलाओं को टिकट दिया जाना तथा उनका समुचित रूप से जनता द्वारा चयन के लिए अवसर दिया जाना स इस प्रकार चुनावी स्तर पर महिलाओं की

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 04, April 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भागीदारी इनकी सामाजिक सशक्तता को राजनीतक सशक्तता तक पहुचने का एक मार्ग बन सकता है क्योंकि राजनीतिक निर्णय निर्माण संस्थाओ में महिलाओं की अल्प भागीदारी महिलाओं के पिछड़ेपन का परिणाम ही नही अपितु कारण भी है।

भारतीय चुनावी राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व

स्वतंत्रता के पश्चात्त से ही महिलाओं की राजनीति मे भागीदारी अधिक नहीं रही। यह पुरुषो के मुकाबले बहुत कम थी। चुनाव आयोग के आंकड़ो के अनुसार संसद मे इनकी सदस्यता शुरुआत के वर्षो में अत्यधिक दयनीय थी स हालाँकि वर्तमान समय मे यह बढ़ी अवश्य है किन्तु अभी भी इनकी स्थिति बहुत अधिक परिवर्तित नही हुई है।

हालाँकि राजनीतिक सहभागिता मत देने के अधिकार से समय अनुसार परिवर्तित हुई है किन्तु महिलाओं को राजनीति में चयन के आधार पर सदैव भेदभाव का शिकार होई होना पड़ा है। पंचायतो के स्तर पर बहरहाल 73 वे एवं 74 वे संविधान संशोधन के पश्चात् 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये है किन्तु राज्य विधान सभा तथा संसद के स्तर पर इनकी स्थिति अभी भी दयनीय ही बनी हुई हैं। यहा अम्बेडकर के विचार में शामिल मतों के प्रतिनिधित्व (Representation of Opinion) को व्यक्ति के प्रतिनिधित्व (Representation of Person) मे परिवर्तित करने की आवश्कता है। जिसके लिए केवल सहभागिता नही अपितु महिलाओं का राजनीति मे स्पष्ट प्रवेश आवश्यक हैं केवल नाममात्र की भागीदारी काफी नही है।

संसद में महिलाओं के चयन प्रतिशत जिक्र अगर करे तो यह सदैव पुरुषो की तुलना में अत्यधिक अल्प था। 1952 मे यह 4.41% से लेकर 1984 मे दोगुनी अर्थात 8.6% हो गयी परन्तु इसके पश्चात ये एक से दो प्रतिशत घटती रही जो कि 1999 मे 9.02% हो गयी परन्तु 2004 मे यह पुनः घटते हुए 8.25% हो गयी थी 2009 में 10 % 2014 में 11.4% 2019 के चुनाव में 13.63% रहीस (आंकड़े. भारतीय चुनाव आयोग) यह बढ़ोतरी 1996 से 1998 के मध्य इस बढ़ोतरी का आधार महिला आरक्षण बिल की संसद में प्रस्तुती थी। जिससे सभी राजनीतिक दलों ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं के आरक्षण को समर्थन दिया जिसके पश्चात् अधिकतर दलों ने महिलओं की उपस्थिति को मान्यता

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 11 Issue 04, April 2021
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

देना आरंभ कर दिया जबकि अन्य स्तरों जैसे राज्य विधानसभाओ में यह प्रतिशत निम्न ही रहे।

राजनीतिक दलों की इस विषय में भूमिका देखी जाये तो यह अधिक सराहनीय नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस लम्बे समय तक लगातार सत्ता मे रही हैं। परन्तु अभी तक कांग्रेस तथा भारतीय जनता दल दोनों ही पार्टियों के महिलाओं को टिकट देने कि प्रतिशतता में अधिक अंतर नही मिलता है। 2019 के आम चुनावों की बात की जाए तो राजनीतिक दलों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा दिखती है जिससे राष्ट्रीय दलों का जनाधार अधिक होने के पश्चात् महिलाओं को उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने में इनका योगदान अधिक सराहनीय नही रहा है। क्षेत्रीय दल भी इनसे अधिक महिलाओं को स्थान देने के पक्ष में दिखेस चुनावी घोषणा से पहले ही उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने कहा की इनका दल उम्मीदवार के रूप में 33 % महिलाओं का चयन करेगे। इसके पश्चात ममता बैनर्जी जी ने तृणमूल कांग्रेस पश्चिमी बंगाल से भी 4 1% महिलाओं को टिकट दीया गया जबकि भारतीय जनता दल तथा कोंग्रेस में क्रमशः 12 तथा 44 महिलाओं को स्वीक्रति दी गई स यह तुलनात्मक व्याख्या यह प्रदर्शित करती है कि यह महिला सदस्यों की प्रतिशतता समयानुसार परिवर्तित होती रही है। भारतीय राजनैतिक दलों मे महिलाओं की यह सहभागिता प्रतिनिधित्व के विचारो परआधारित हैं।इसलिएमहिला प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के आधारभूत विचारो का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति में इस प्रकार चुनावी प्रतिनिधित्व इसकी व्यवहारिक परिस्थितियों तथा महिलाओं के समक्ष जटिल समस्याओं से अछूता नही है। वर्तमान में इनकी भागीदारी शक्तिकरण के सिद्धांत से समुचित रूप से प्रभावित हो रही है जब तक इनके व्यक्तित्व में सुधार नही आयेगा तब तक राजनीतिक संस्थाओ की नीतियों तथा प्रयासों को पूर्ण रूप से सफल नही बनाया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय राजनीति में महिलाएं एक ऐसे वर्ग के रूप में निवास करती है जिसके लिए केवल समानता का सिद्धांत लागू करना काफी नही अपितु इससे अधिक इनके प्रति समाज में व्याप्त असहजताओ को भी धूमिल किया जाना आवश्यक है। महिलाओं में ही स्वयं एक प्रकार का भेदभाद जाती तथा वर्ग

के आधार पर बना हुआ है वह इस राजनीतिक विकास के लाभ को समान रूप से प्रत्येक वर्ग तक नही पहुचने देता है। इसलिए विभिन्न वर्गो जैसे पंचायतो राज्य विधानपालिका तथा संसद प्रत्येक वर्ग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रतिशत असंतुलित हैं।

संदर्भ ग्रंथ

- कोशिक, सुशीला, 1993, ए वीमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, विमेन एंड पोलिटिकल पार्टिसिपेशन, हर आनंद पब्लिकेशन. पृष्ठ 35-39.
- कुमारी अभिलाषा एवं किदवई सबीना, 1998, ए क्रॉसिंग दी सेक्रेड लाइनः वीमेनस सर्च फॉर पॉलिटकल पावर, हैदराबादः ओरिएंट लॉन्गमन लिमिटेड.
- पिटकिन्स, हन्ना फेनीचेल , दी कांसेप्ट ऑफ़ रिप्रजेंटेशन , यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया प्रेस, बर्कले l
- Political Representation,2006. Stanford Encyclopedia of Philosophy- Available athttp://www.Plato.standard.Edu. (Accessed on 21 October 2014).
- यादव, योगेन्द्र रिप्रजेंटेशन, इन जयाल, नीरजा गोपाल एवं मेहता, प्रताप भानु., 2011, ऑक्सफ़ोर्ड कम्पैनियन, प्रेस पृष्ठ 344-345.
- लाल, डेविड, ओझा अभिरुचि सभरवाल, निधि, इश्यूज ऑफ़ अंडर रिप्रेजेटेशनः मैपिंग वीमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स. ऐ रिसर्च जर्नल ऑफ़ साउथ एशियन स्टडीज, वॉल्यूम 30, नम्बर.1 , जनवरी - जून 2014
- लोकानीता, जिनि 2000, वीमेन इम्पावरमेंट री डिफाइनिंग एजेंडा , इन, सक्सेना, किरन, विमेन इन पॉलिटिक्स, नई दिल्लीः ज्ञान पब्लिकेशन हाउस.
- वर्मा, सुधीर, 1997, ए वीमेस स्ट्रगल फॉर पोलिटिकल पॉवर फ्रॉम ंदतिंदबीपेमउमदज ट्र पार्टिसिपेशन, दिल्लीः रावत पब्लिकेशन.
- विलियम्स, मेल्लिसा, 1998, ए वोईस ट्रस्ट एंड मेमोरीः मर्जिनलैज़ड ग्रुप्स एंड दी फीलिंग्स ऑफ़ लिबरल रिप्रजेंटेशन.